न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डा0 मधु खरे

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3499–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–9–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 933/अपील/2010–11.

साधुलाल तनय गजाधर चौधरी
निवासी ग्राम बगहा, तहसील रघुराजनगर,
जिला रीवा

_____आवेदक

विरूद्ध

1. रामनाथ चमार तनय चुनकामन चमार
2. रमेश चमार तनय चुनकामन चमार
3. गनेश चमार तनय चुनकामन चमार
4. बेसनिया पत्नी चुनकामन चमार
5. शीला पुत्री चुनकामन चमार
6. लला पुत्री चुनकामन चमार

सभी निवासी ग्राम बगहा तहसील रधुराजनगर
जिला रीवा म0प्र0

_____अनावेदकगण

– – – – – –

श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदक
श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 27 जन. 2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 933/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 05–9–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बगहा तहसील रघुराजनगर जिला सतना की आराजी नं0 690, 691 एवं 692 के मूल भूमिस्वामी रामगरीब चौधरी थे जिनसे आवेदक ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से दिनांक 8–7–1959 को उक्त भूमि कय की। विवादित भूमि का पंजी कमांक 39 आदेश दिनांक 5–12–84 को अनावेदक चुनकामन ने अपने पक्ष में बंटवारा एवं नामांतरण कराया। आवेदक द्वारा उक्त नामांतरण आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी को वर्ष 2006 में की। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 30–3–2011 को अपील स्वीकार की जाकर नामांतरण पंजी कं 39 आदेश दिनांक 5–12–84 निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक स्व0 चुनकामन ने द्वितीय अपील अपर आयुक्त को की। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 5–9–2013 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30–3–11 निरस्त किया तथा नामांतरण पंजी में पारित आदेश दिनांक 5–12–84 को यथावत रखा। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि आवेदक ने दिनांक 8–7–59 को प्रश्नाधीन भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय कर कब्जा दखल प्राप्त कर लिया था। आवेदक स्वतंत्र रूप से राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी भी दर्ज हो गया। अनावेदक चुनकामन द्वारा बिना आवेदक की जानकारी के पंजी पर दिनांक 5–12–84 को उक्त आराजियों को पैत्रिक भूमि मानकर बटवारा नामांतरण अपने नाम करा लिया। उन्होंने य भी तर्क दिया कि बटवारा नामांतरण की जानकारी होने पर आवेदक ने व 2006 में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभार्ग अधिकारी ने म्याद के संबंध में धारा 5 स्वीकार कर अपील को समय सीमा मान्य किया और नामांतरण पंजी पर हुये बटवारा नामांतरण को निरस्त कि

तर्क में यह भी कहा कि संहिता की धारा 178 में स्पष्ट प्रावधान है कि केवल सहखातेदार ही आराजी का खाता बटवारा करा सकते हैं। तर्क में बताया कि एक बार जब अपील में समयावधि के बिन्दु पर विवेचना होने पर उसे समय–सीमा में मान्य कर लिया गया था तो अपर आयुक्त द्वारा पुनः समय–सीमा के बिन्दु पर निराकरण कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक ने तर्क के समय आदेश 9 नियम 7 सी0पी0सी0 सहपठित धारा 32 का आवेदन भी पेश किया जिसमें अनावेदक कमांक 1 से 3 के विरूद्ध हुये एकपक्षीय कार्यवाही को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया। दोनों अभिभाषकों के तर्क सुनने के पश्चात न्यायहित में अनावेदक कमांक 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही समाप्त की गई।

5/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नाधीन आराजियां आवेदक साधूलाल द्वारा दिनांक 8–7–1959 को कय की थी। आवेदक एवं अनावेदक चुनकामन सगे भाई थे। आवेदक साधूलाल परिवार में बडे होकर कर्ता खानदान थे। विवादित भूमि संयुक्त परिवार की आय से कय की गई थी और संयुक्त हिन्दु परिवार के धन से कय की गई भूमि पर परिवार के सभी सदस्यों के बटवारे का अधिकार होता है। अनावेदक अभिभाषक ने तर्क में कहा कि आवेदक साधूलाल ने सहमति से हुये बटवारा आदेश दिनांक 5–12–1984 के विरूद्ध 23 वर्ष बाद वर्ष 2006 में अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जबकि आवेदक ने पंजी कमांक 39 पर प्रतिप्रार्थी को भूमि नामान्तरण बंटवारा हे सहमति स्वरूप अंगूठा लगाया था। अतः यह नहीं माना जा सकता कि उ उक्त नामांतरण बटवारे आदेश की जानकारी नहीं थी। तर्क में यह भी क कि सहमति के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील कानून स्वीकार योग्

516
18-9-23

नहीं थी, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने स्वीकार करने में त्रुटि की है। तर्क में बताया कि आवेदक ने आवेदक ने दिनांक 05—12—1984 को हुये बटवारा नामांतरण में प्राप्त अपने हिस्से की भूमि सर्वे कमांक 364 दिनांक 24.4.94, सर्वे नम्बर 690/1 दिनांक 21.4.2000, सर्वे नम्बर 692/1 दिनांक 16.9.97 एवं सर्वे नम्बर 691/1 दिनांक 30—9—03 को विकय कर दी। इससे स्पष्ट है कि उसे दिनांक 5—12—84 को हुये बटवारा आदेश की जानकारी थी। इसके पश्चात अनावेदक ने व्यवहार न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी वाद कमांक 34ए/2002 दायर किया जो दिनांक 14—10—04 को निरस्त हुआ तथा एक अन्य दावा एम0जे0सी0 प्रकरण कमांक 131/2004 भी दिनांक 9.9.2005 को निरस्त हो चुका है। जब दीवानी न्यायालयों से दावे निरस्त हुये उसके पश्चात आवेदक ने लगभग 23 वर्ष वाद अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। तर्क में कहा कि अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर अपील में विधिसंगत आदेश पारित किया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने तथा अभिलेखों का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायत तहसीलदार द्वारा वर्ष 1984 में दोनों पक्षों की सहमति से प्रतिप्रार्थी के पक्ष में भूमि का नामान्तरण बंटवारा किया था जिससे आवेदक भी रजामन्द था। प्रतिप्रार्थी अभिभाषक का यह तर्क मान्य योग्य है कि प्रार्थी को उक्त आदेशक की जानकारी पूर्व से थी। जब प्रार्थी ने अपनी भूमि का विकय विभिन्न व्यक्तियों को वर्ष 94 एवं 2003 के बीच में किया तथा प्रार्थी के पुत्रों ने दीवानी वाद व्यवहार न्यायालय में वर्ष 2002 में दायर किया तो यह नहीं माना जा सकता कि प्रार्थी को वर्ष 1984 में नायब तहसीलदार द्वारा प्रतिप्रार्थी चुनकामन के पक्ष में किए गए नामान्तरण बंटवारा की जानकारी वर्ष 2006 में हुई। भूमि विकय के समय तथा व्यवहार न्यायालय में वाद दायर करते समय भू—अधिकार

ऋण पुस्तिका तथा अद्यतन खसरा आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया होगा। अनुविभागीय अधिकारी को 23 वर्ष पुराने प्रकरण में प्रस्तुत समय बाधित अपील को समय–सीमा में मानकर त्रुटि की है तथा अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने का आदेश उचित है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 05–9–2013 यथावत रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर